यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर** के माह 01/2018 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार सचान एवं श्री सुधीर कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28-01-2019 से 07-02-2019. तक श्री बी॰ डी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील द्त्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पंत लेखापरीक्षक के द्वारा श्री ए.सी. कटियार वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 08/01/2018 से 19/01/2018 तक मे संपादित किया गया था जिसमें 09/2016 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2018 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर का मुख्य कार्यकलाप सिविल एवं रोड निर्माण कार्य आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं। जनपद बागेश्वर के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+) रू॰**	**बचत गैर स्थापना (-) रू॰**	**बचत स्थापना (-) रू॰**
	स्थापना रू॰	**गैर स्थापना रू॰**	**आवंटन रू॰**	**व्यय रू॰**	**आवंटन रू॰**	**व्यय रू॰**			
2015-16	----	1630.65	152.34	152.34	924.74	1179.93	-	1375.46	00
2016-17	----	1375.46	142.83	128.26	1481.25	1130.53	-	1726.18	14.57 (समर्पण)
2017-18	----	1726.18	138.44	138.44	420.33	1134.89	-	1011.61	00
2018-19 (Upto Dec. 2018)	----	1011.61	139.78	117.97	925.76	740.63	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/बचत(-)
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 (UptoDec.18)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से किए जाते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. मुख्य अभियन्ता 4. अधीक्षण अभियन्ता 5. अधिशासी अभियन्ता 6. सहायक अभियन्ता 7. कनिष्ठ अभियन्ता 8. लेखाकार आदि

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त बजट का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2- अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से अब तक की अवधि में निरीक्षण नहीं किया गया।

3- फार्म 51: माह दिसम्बर 2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निमन्वत हैं-

भाग प्रथम ....शून्य....

भाग द्वितीय ....रूपये 5707/-

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 03/2018 के अंत में

I. विविध अग्रिम - शून्य
II. स्टोर एवं स्टॉक लेखे – शून्य
III. नकद परिशोधन- शून्य
IV. निक्षेप- रूपये 143125076.00

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 01: दोषपूर्ण DPR बनने के कारण नामती चेटा बगड़ से लाठी गाँव मोटर मार्ग का निर्माण कम किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के आदेश संख्या 45/XII-02/2015/17-03-2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु नामती चेटा बगड़ से लाठी गाँव मोटर मार्ग का निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति एवं रूपये 179.96 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।जिसके अनुसार इस सड़क की प्राक्कलित लम्बाई 02 किलोमीटर थी तथा दिसंबर 2018 तक राज्य सरकार द्वारा रूपये 110.40 लाख खण्ड को अवमुक्त कर दिये गए थे।

उपरोक्त सड़क मार्ग का प्रथम फेज का निर्माण कार्य अनुबंध के अनुसार 22.04.2016 से आरंभ होकर 21.12.2016 तक पूर्ण किया जाना था। जिस हेतु खण्ड द्वारा रोड कटिंग प्रथम फेज हेतु (प्राक्कलित लागत 22.74 लाख) के विरूद्ध खण्ड द्वारा ठेकेदार को उसके द्वारा डाली गयी निविदा धनराशि रूपये 22.68 लाख पर कार्य आबंटित कर दिया गया।

खण्ड की लेखा परीक्षा में देखा गया कि लेखा परीक्षा अवधि तक इस सड़क का निर्माण 1756 मीटर तक ही किया गया शेष निर्माण कार्य 244 मीटर का कार्य अपूर्ण था।

लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर खण्ड द्वारा बताया गया कि योजनागत सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 1756 मीटर के बाद एक पुल की आवश्यकता है जिसके बिना इस योजना का निर्माण कार्य पूरा किया जाना संभव नहीं है। चूंकि पूर्व में बनी डीपीआर में इसका प्रावधान नहीं किया गया था, जिस कारण इसका निर्माण किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पूर्व में दोष पूर्ण डीपीआर बनने के कारण सड़क का सही प्राक्कलन एवं इसकी लागत का सही आगणन नहीं किया गया जिस कारण खण्ड द्वारा अधूरा कार्य किया जा रहा है क्योंकि खण्ड द्वारा इस संबंध में कोई भी पुनरीक्षित प्राक्कलन राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया न ही यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान में 1756 मीटर सड़क की प्राक्कलित लागत कितनी होगी। जिससे स्पष्ट है कि खण्ड द्वारा प्रारम्भ में शासन को सही डीपीआर प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण योजना का कार्य अपूर्ण रहा तथा ग्रामवासियों को इस योजना के उपयुक्त लाभ से वंचित होने पड़ा।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 02: धनराशि रूपये 60.00 लाख से बनने वाले गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जाने एवं ठेकेदार को रूपये 5.04 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाना।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता के अन्तर्गत जिला पूर्ति अधिकारी, बागेश्वर के स्थान काफलीगैर के ग्राम सिन्दूरी में 200 मी॰ टन क्षमता के खाद्यान गोदाम एवं आवासीय भवन टाइप-1 का निर्माण कार्य कराया जाना था। इसके लिए अनुबन्ध संख्या - 11 दिनांक 25.10.2016 गठित किया गया जिसमें मै॰ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्सन, जिला बागेश्वर को अनुमानित दरों रू॰ 52,83,959/- के सापेक्ष धनराशि रू॰ 50,41,047/- में उक्त कार्य की निविदा स्वीकृत की गयी। बॉण्ड के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 25-10-2016 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 24-10-2017 निर्धारित की गयी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण सेवा बागेश्वर के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 15.00 लाख जून 2016 में अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग बागेश्वर को हस्तांतरित कर दी तथा विभाग द्वारा द्वितीय एवं अन्तिम किश्त धनराशि रूपये 45.00 लाख दिसम्बर 2017 में हस्तांतरित कर दिया गया। ग्रामीण निर्माण सेवा के द्वारा दिसम्बर 2018 तक केवल 80 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया गया था। ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य मन्द गति से किया जा रहा था जिसके लिए अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा मार्च 2018 एवं मई 2018 को मै॰ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्सन को निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से किए जाने पर खेद व्यक्त किया गया और निर्माण कार्य को तीव्र गति से किये जाने हेतु लिखा गया, लेकिन जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा जून 2018 में निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण न किए जाने एवं धनराशि रूपये 35.00 लाख अव्यतीत पड़े होने के संबंध में जानकारी चाही गयी थी। उसके पश्चात भी छः माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य करने में कोई रुचि नहीं ली जा रही थी। ठेकेदार से कोई दण्ड वसूल किए जाने हेतु कार्यवाही नहीं की गयी और न ही कार्य समय पूर्ण न करने पर उसका अनुबंध निरस्त किए जाने की चेतावनी ही दी गयी। विभाग द्वारा निर्माण कार्य से संबन्धित जीपीडब्लू 9 के clause संख्या 4.5 के अनुसार कार्य मे हुए विलम्ब के लिए अनुबंध की लागत का अधिकतम 10% LD की कटौती किया न किए जाने के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने में शिथिलता बरती जा रही थी। विभाग द्वारा ठेकेदार पर एल॰ डी॰ का प्रावधान न करके (50,41,047/- का 10% = 5,04,104/-) 5.04 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

उक्त से स्पष्ट था कि विभागीय उदसीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में दो वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी धनराशि रूपये 60.00 लाख से बनने वाले गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न किए जाने से किराये के गोदामों पर किराए एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के गोदामों से अधिक दूरी होने से खाद्यान के माल भाड़े का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि निर्माण कार्य यथा समय पूर्ण कराये जाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है ठेकेदार से एल॰ डी॰ (liquidity damage) एवं समस्त कटौतियाँ अन्तिम भुगतान में की जाती हैं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि धनराशि रूपये 60.00 लाख से बनने वाले गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर ठेकेदार से कोई दण्ड वसूले जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही कार्य समय पूर्ण न करने पर उसका अनुबंध निरस्त किए जाने की ही चेतावनी दी गयी और ठेकेदार द्वारा कार्य मे अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा था। जिसके परिणाम स्वरूप धनराशि रूपये 60.00 लाख से बनने वाले गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जाने एवं ठेकेदार से रूपये 5.04 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 03: निर्माण कार्य से संबन्धित अव्ययित धनराशि रूपये 12.87 लाख संबन्धित विभाग को वापस न किया जाना ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 514 के अनुसार कार्यपूर्ण होने के बाद कार्य के खाते शीघ्र बन्द कर दिये जाने चाहिए कार्यदायी संस्था को पूर्ण किये जा चुके कार्यों की अव्ययित धनराशि को संबन्धित विभाग को वापस कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग बागेश्वर के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि जिलाधिकारी के आदेश संख्या 1376/तेरह-14-सी॰ आर॰ ए॰/ दै॰ आपदा/ 2012-13 दिनांक 13 फरवरी 2012 के अनुसार वर्ष 2012-13 में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग बागेश्वर को उच्च प्राथमिक विध्यालय कुंवारी के क्षतिग्रस्त भवन के पुनर्निर्माण हेतु लागत राशि रुपए 19.25 लाख के सापेक्ष रूपये 18.95 लाख जारी की गयी थी। वर्ष 10/2013 में इस वर्ष अतिवृष्टि एवं दैवीय आपदा से ग्राम कुंवारी का अधिकांश क्षेत्र भूस्खलन से प्रभावित होने के कारण तहसीलदार कपकोट की जाँच आख्या के पश्चात निर्माण कार्य बन्द करा दिया गया था उसके पश्चात 12/2014 में ठेकेदार की प्रार्थना पर निर्माण कार्य का अंतिमिकरण कर दिया गया तथा उक्त किए गए कार्य पर धनराशि रूपये 6.08 लाख का व्यय किया जा चुका था। इस प्रकार शेष धनराशि रूपये 12.87 लाख बिना व्यय के विभाग के पास अवरुद्ध रखे हैं। उक्त धनराशि से न तो निर्माण कार्य कराया गया और न ही उक्त धनराशि को वापस किया गया। निर्माण कार्य न किए जाने की स्थिति में उक्त धनराशि को नियमतः विभाग को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था। जिससे कि शासन द्वारा उक्त राशि का उपयोग अन्यत्र विकास कार्यों मे किया जा सकता। निर्माण कार्यों से संबन्धित बची हुई अप्रयुक्त राशि 12.87 लाख को चार वित्तीय वर्ष की समाप्ती के उपरान्त भी समर्पित न किया जाना न केवल नियमो का उल्लंघन था, अपितु विभागीय उदासीनता का परिचायक भी था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि अनुबन्ध को निरस्त कर दिया गया क्योकि उक्त स्थल पर निर्माण कार्य किया जाना संभव नहीं था। जिला अधिकारी बागेश्वर को धनराशि समर्पण हेतु पत्राचार किया गया था, परन्तु कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुये। उक्त धनराशि रूपये 12.87 लाख को संबन्धित विभाग को वापस कर दी जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि रूपये 12.87 लाख धनराशि से न तो निर्माण कार्य कराया गया और न ही उक्त धनराशि को वापस किया गया। जबकि उक्त धनराशि को नियमतः विभाग को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था। उक्त अप्रयुक्त धनराशि को चार वित्तीय वर्ष की समाप्ती के उपरान्त भी संबन्धित विभाग को समर्पित नहीं किया गया।

अतः निर्माण कार्य से संबन्धित अव्ययित धनराशि रूपये 12.87 लाख संबन्धित विभाग को वापस न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी
39/2005-06	----	01	----
57/2006-07	----	02	----
83/2010-11	----	1,2	----
03/2014-15	----	1,2,3,4,5	01
59/2016-17	----	1,2,3	----
174/2017-18	----	1,2,3,4	-----

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या विभाग द्वारा तैयार नहीं की गयी एवं अवगत कराया गया कि उच्च अधिकारियों की संस्तुति के उपरांत अनुपालन आख्या महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या ।
3. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	ई॰ के॰ के॰ पन्त	अधिशासी अभियन्ता	01.01.18 से 14.01.18
2	ई॰ अल्ला दिया	अधिशासी अभियन्ता	15.01.18 से 28.01.19
3	ई॰ देवेन्द्र प्रसाद जोशी	अधिशासी अभियन्ता	29.01.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.